1115

[2019] 9 एस. सी. आर 1115

/

पोस्टमैन वेंगैसेमी एंड ओआरएस. वी.

पुलिस और ओ. आर. एस. के निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व। (2010 की आपराधिक अपील No.1234)

/

24 जुलाई, 2019

[एल**.** नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:s.302-पंद्रह अभियुक्त-अभियोजन मामला यह था कि शिकायतकर्ता पक्ष पर पिछले हमले का इतिहास था-दुर्भाग्यपूर्ण दिन, हथियारों से लैस सभी अभियुक्तों ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और मृतक को घेर लिया-ए-11 ने अन्य अभियुक्तों को पीड़ित-मृतक को टुकड़ों में काटने के लिए उकसाया-इसके अनुसार, उन पर हमला किया गया जिसमें ए-13 ने पीडब्लू-1 की कोहनी के नीचे बायां हाथ काट दिया, जबकि ए-6 ने पीडब्लू-2 के बाएं कंधे पर मारा, जबकि पीड़ित-मृत व्यक्ति पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा तलवार से उसके शरीर के कई हिस्सों पर हमला किया गया-पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 अभियुक्त के चंगुल से भाग गए-पीड़ित-मृतक ने दम तोड़ दिया-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहरायाहालाँकि, अपीलकर्ताओं के लिए तर्क यह था कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 गवाहों को पेश किया गया था, लेकिन उन पर की गई लंबी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला-पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पीड़ित-मृतक पर कई चोटें दिखाई दीं-भौतिक गवाहों पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की मौखिक गवाही की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई थी, जबकि मृतक की जान लेने का उद्देश्य घटना से बनाया गया था-इसलिए, नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विधि में प्रशंसनीय निष्कर्ष थे-गवाहों की धारणा और समय बीतने के कारण कुछ विरोधाभास उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन गवाहों की विश्वसनीयता हिल गई नहीं थी-इसलिए, ऐसे गवाह विश्वसनीय और विश्वसनीय थे-क्योंकि एक इतिहास था

/

/

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:**पीडब्लू**-4** ने कहा कि आरोपी ने पीड़ित-मृतक के साथ उसकी पिटाई की थी। उन्होंने आगे कहा कि

/

1115 ए.

1116 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 9 एस. सी. आर.

उन्हें दोनों आँखों के नीचे चेहरे पर चोटें आई हैं।पीडब्लू**-4** की पत्नी पीडब्लू**-5** का भी यही बयान था।भौतिक गवाहों पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-2** की मौखिक गवाही की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई थी**,** जबकि मृतक की जान लेने का मकसद घटना से निकला था।इसलिए**,** नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विधि में प्रशंसनीय निष्कर्ष थे।गवाहों की धारणा और समय बीतने के कारण कुछ विरोधाभास उत्पन्न हुए।लेकिन गवाहों की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं हुई।ए**-11** के आह्वान पर**,** तलवार से लैस अभियुक्तों ने मृतक पर जानलेवा हमला किया था और पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-2** को भी घायल कर दिया था।चूंकि **8** अप्रैल**, 2003** को मृतक पर पहले हमले का इतिहास रहा है**,** इसलिए आरोपी ने पीड़ित-मृतक की जान लेने के उद्देश्य से एक गैरकानूनी सभा का गठन किया।यह अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य का संचयी प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि क्या गैरकानूनी सभा का एक सामान्य उद्देश्य हत्या के बराबर गैर-इरादतन हत्या करना था। **[**पारस **10-13] [1120-G-H; 1121-A-E]**

/

/

/

राम लक्ष्मण बनाम राजस्थान राज्य **(2016) 12** एस**.** सी**.** सी**. 389;** नजाभाई देसुरभाई वाघ बनाम वलेराभाई डेगनभाई

वाघ और ओआरएस। (2017) 3 एस. सी. सी. 261 प्रतिष्ठित।

महेंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य **(2019) 5** एस**.** सी**.** सी**. 67**

/

– अप्रयोज्य रखा गया।

मामला विधि संदर्भ **(2016) 12** एस**.** सी**.** सी**. 389** विशिष्ट पैरा **7 (2017) 3** एस**.** सी**.** सी**. 261** लागू नहीं होने योग्य पैरा **7 (2019) 5** एस**.** सी**.** सी**. 67** लागू नहीं होने योग्य पैरा **7**

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील संख्या 1234

/

2007 के आपराधिक अपील सं. 647 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, कार्तिक जयशंकर, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

एम. योगेश कन्ना, सुश्री मेहा अग्रवाल, पार्थ सारथी, एस. राजा राजेश्वरन, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

1117

पोस्टमैन वेंगैसेमी बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि ए

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपील केवल अभियुक्त संख्या 1-डाकिया वेंगैसामी (ए-1), अभियुक्त संख्या 11-थलाइयारीपांडी (ए-11) और अभियुक्त संख्या 15-वेल्लाचामी (ए-15), अभियुक्त संख्या 9-रथिनेत्तमतियन (ए-9), अभियुक्त संख्या 10-कोट्टी @कोटेश्वरन (ए-15) के संबंध में बनी हुई है।10) और अभियुक्त संख्या 12-नीलमेगवन्नन (ए-12) ने अपनी सजा पूरी कर ली है और तब से उसे हिरासत से रिहा कर दिया गया था।

/

2. 15 अभियुक्तों पर श्रीविल्लिपुत्तूर में प्रधान सत्र न्यायाधीश, विरुदुनगर जिले के समक्ष मुकदमा चलाया गया।विद्वत निचली विचारण न्यायालय ने 7 दिसंबर, 2007 के निर्णय के माध्यम से ए-1, ए-9, ए-10, ए-11, ए-12 और ए-15 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 148,302 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जबकि ए-11 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 506 (भाग II) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए भी सजा सुनाई गई थी। तिरुमेनी (ए-4) और नीलमेगम उर्फ वलदुकाई नीलमेगम (ए-14) की निचली विचारण न्यायालय द्वारा आरोप तय करने से पहले ही मौत हो गई, जबकि अन्य आरोपी व्यक्तियों जैसे कर्णन (ए-2), कृष्णमूर्ति (ए-3), लिंगम (ए-5), पूवलिंगम (ए-6), केशवन (ए-7), रामलिंगम (ए-8) और अर्जुनन (ए-13) को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 342 और 324 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए एक या दो साल की अवधि की सजा सुनाई गई। ऐसे अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में भी कोई अपील दायर नहीं की।हालाँकि, अन्य अभियुक्तों की अपील में, उच्च न्यायालय ने पूवलिंगम (ए-6) के संबंध में दी गई सजा की पुष्टि की, जिसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 324 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।3. मृतक का नाम चिन्नापेरिया (इरुलंडी के पिता-पीडब्लू-1) है।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि भास्करन (पीडब्लू-4) ने मृतक से लगभग Rs.12,000/- मूल्य की बकरियाँ खरीदीं और 20 दिनों के बाद राशि

का भुगतान करने का वादा किया है।8 अप्रैल, 2003 को मृतक भास्करन से राशि लेने के लिए अनैकुलम आया था।भास्करन (पीडब्लू-4) ने अपनी पत्नी राठी (पीडब्लू-5) को उन लोगों से पैसे लेने के लिए भेजा जिन्हें उसने बकरियाँ बेची थीं।उनकी पत्नी को राशि मिली, लेकिन रास्ते में, उन्हें डाकिया वेंगैसामी (ए-1) और थलाईयारिपंडी (ए-11) से संबंधित लोगों ने रोक दिया और उन्होंने पैसे भी छीन लिए।भास्करन (पीडब्लू-4), राठी (पीडब्लू-5) और मृतक चिन्नापेरियाह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन लौटते समय, भास्करन (पीडब्लू-4), राठी (पीडब्लू-5) और मृतक चिन्नापेरियाह पर थलाइरीपांडी (ए-11) के लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए।

/

/

/

/

/

/

1118

/

[2019] 9 एस सी आर।

मृतक चिन्नापेरियाह कुरुन्थनकुलम गाँव का रहने वाला था, जबकि आरोपी नाथाकुलम गाँव के थे और दोनों गाँव वीराचोलन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत आते हैं।

4. इलाज के बाद मृतक और उसका बेटा इरुलंडी (पीडब्लू-1) 25 अप्रैल, 2003 को भास्करन (पीडब्लू-4) से पैसे लेने के लिए अनैकुलम गांव गए।उस समय भास्करन (पीडब्लू-4) के बहनोई रामर (पीडब्लू-2) मौजूद थे।भास्करन (पीडब्लू-4) ने मृतक चिन्नापेरिया से कहा कि वह अगले दिन पैसे चुका देगा।इसलिए, मृतक चिन्नापेरिया रामार (पीडब्लू-2) के घर में रहता था।26 अप्रैल, 2003 को हथियारों से लैस सभी अभियुक्तों ने इरुलंडी (पीडब्लू-1), रामार (पीडब्लू-2) और मृतक चिन्नापेरिया को घेर लिया।उस समय, थलाइरीपांडी (ए-11) ने अन्य अभियुक्तों को मृतक को खत्म करने के लिए उकसाया।थलाइरीपांडी (ए-11) द्वारा दिए गए उकसावे के अनुसार, उनके अलावा, डाकिया वेंगैसामी (ए-1), रथिनेट्टामटियान (ए-9), कोट्टी @कोटेश्वरन (ए-10), नीलमेगवन्नन (ए-12), नीलमेगम @वलदुकाई नीलमेगम (ए-14) और वेल्लाचामी (ए-15) ने मृतक पर उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तलवार से हमला किया।इरुलंडी (पीडब्लू-1) पर भी अर्जुनन (ए-13) ने अपने बाएं हाथ पर अरुवल से हमला किया था, जिसमें पूवलिंगम (ए-6) ने रामर (पीडब्लू-2) के बाएं कंधे पर वार किया था।इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) लगभग 9 बजे वीरचोलन पुलिस

स्टेशन गए:30 26 अप्रैल, 2003 को हूँ।शिकायत के आधार पर, एफ. आई. आर. (एक्स. एच.)। पी-13) विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज किया गया था।इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) को इलाज के लिए तिरुचिरापल्ली सरकारी अस्पताल भेजा गया, जबकि प्राथमिकी को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरुप्पुकोट्टई को भेजा गया।

/

/

/

/

5. डॉ. जयकुमार (पीडब्लू-13) द्वारा इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) की चिकित्सकीय जांच की गई।जाँच पूरी होने के बाद, अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया।अभियोजन पक्ष ने निचली विचारण न्यायालय के समक्ष 18 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें डॉ. जयकुमार (पीडब्लू-13), मृतक के मुखबिर और बेटे, इरुलंडियास पीडब्लू-1, रामारस पीडब्लू-2, भास्करन पीडब्लू-4 और उनकी पत्नी राठी पीडब्लू-5 शामिल हैं। साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया।उच्च न्यायालय ने इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामार (पीडब्लू-2) की गवाही पर भरोसा करते हुए, घायल गवाहों के साथ-साथ भास्करन (पीडब्लू-4) और राठी (पीडब्लू-5) की गवाही ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बनाए रखा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।6. संक्षेप में, दो घटनाएं हैं, एक 8 अप्रैल, 2003 को जिसमें भास्करन (पीडब्लू-4) और राठी (पीडब्लू-5) और मृतक चिन्नापेरिया को चोटें आई हैं और दूसरी 26 अप्रैल, 2003 को जिसमें इरुलंडी ए।

/

/

/

1119

पोस्टमैन वेंगैसेमी बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि [हेमंट गुप्ता, जे.] ए.

(पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) को चोटें आईं जबकि चिन्नापेरियाह की जान चली गई।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि तथाकथित घायल गवाह इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया है और उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित तरीके से चोट नहीं लगी है।यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे गवाहों को लगी चोटें साधारण चोटें हैं जो अभियुक्त द्वारा दी गई साबित नहीं होती हैं।यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह इच्छुक गवाह हैं, इसलिए, उनकी गवाही पर विद्वत निचली विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जा सकती है।यह भी तर्क दिया

जाता है कि भौतिक गवाहों अर्थात इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) के बयान विरोधाभासी हैं, इसलिए ऐसे गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि के अभाव में, उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।राम लक्ष्मण बनाम राजस्थान राज्य 1 के निर्णयों पर यह तर्क देने के लिए भरोसा रखा गया है कि इरुलंदी (पीडब्लू-1) और रामार (पीडब्लू-2) के बयानों को कुछ सह-अभियुक्तों को लाभ देने के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि दूसरों की दोषसिद्धि बनाए रखी जा सकती है जब सभी अभियुक्त समान आधार पर खड़े हैं और समानता के योग्य हैं। विद्वान वकील ने भी नजाभाई पर भरोसा किया

/

/

/

देसुरभाई वाघ बनाम वलेराभाई डेगनभाई वाघ और अन्य। 2 प्रस्तुत करने के लिए कि

अभियोजन पक्ष साक्ष्य के आधार पर हत्या करने के लिए सामान्य उद्देश्य साबित करने में विफल रहा है, इसलिए, धारा 149 की सहायता से अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मान्य नहीं है।महेंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य 3 के मामले में भी रिलायंस को रखा गया है।उक्त मामले में, यह था

/

यह माना गया कि हालांकि उक्ति "यूनो में फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस" में कोई नहीं है

भारत में आवेदन लेकिन उन गवाहों के बयान की जांच करते समय सावधानी के नियम को लागू करने की आवश्यकता है जिनका आंशिक बयान सच्चा नहीं पाया गया है।

/

8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

9. इरुलंडी (पीडब्लू-1) ने अपदस्थ किया है कि 26 अप्रैल, 2003 को वह अपने पिता चिन्नापेरिया और रामर (पीडब्लू-2) के साथ अनैकुलम जा रहे थे, जब उन्हें थलाइरीपांडी (ए-11) के नेतृत्व में और तलवारों से लैस अभियुक्त व्यक्तियों ने घेर लिया था।थलाईरीपांडी (ए-11) ने अन्य अभियुक्तों को योजना के अनुसार मृतक को टुकड़ों में काटने के लिए प्रोत्साहित किया।इसके बाद वेंगैसामी (ए-1) ने अपने पिता की दाहिनी कोहनी काट दी।

/

1 (2016) 12 एससीसी 389 2 (2017) 3 एससीसी 261 3 (2019) 5 एससीसी 67

/

लेकिन उन्हें कर्णन (ए-2), कृष्णमूर्ति (ए-3) और थिरुमेनी (ए-4) ने स्थिर कर दिया, जबकि लिंगम (ए-5), पूवलिंगम (ए-6), केशवन (ए-7) और रामलिंगम (ए-8) ने स्थिर कर दिया।रथिनेत्तमटियान (ए-9) ने अपने पिता की दाहिनी कलाई को तलवार से काट दिया, कोट्टी @कोट्टेश्वरन (ए-10) ने अपने पिता के दाहिने तरफ के माथे को काट दिया, तलैयारिपंडी ए-11) ने अपने पिता की बाईं तरफ की पसली को मारा, जबकि नीलमेगवन्नन (ए-12) ने अपने पिता के पीछे की तरफ दाहिने तरफ मारा।चिन्नापेरिया की मौके पर ही मौत हो गई।इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) आरोपी के चंगुल से बच निकले, फिर अर्जुनन (ए-13) ने इरुलंडी (पीडब्लू-1) की कोहनी के नीचे बायां हाथ काट दिया, जबकि पूवलिंगम (ए-6) ने रामर (पीडब्लू-2) के बाएं कंधे पर वार किया। हालाँकि, अपीलार्थियों के विद्वान वकील का तर्क है कि इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) पेश किए गए गवाह हैं, लेकिन उन पर की गई लंबी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है।डॉ. जयकुमार (पीडब्लू-13) ने इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामार (पीडब्लू-1) की जांच की है। 2)26 अप्रैल, 2003 को, उसी दिन जब चिन्नापेरियाया की जान चली गई थी।चिन्नापेरियाया, जिनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Ex.P-28 है, से पता चलता है कि डॉक्टर ने कई चोटों को देखा था।इस तरह की चोटें इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामार (पीडब्लू-2) की मौखिक गवाही की पुष्टि करती हैं।Ex.P-29 बाएं हाथ के पास 6x1x1⁄2 सेमी मापने वाले इरुलंडी (PW-1) से हुई चोटों के संबंध में रिपोर्ट है। उन्होंने रामार पर मेडिकल रिपोर्ट (Ex.P-30) भी प्रदान की है।उन्होंने कहा कि रामर को निम्नलिखित चोटें आई हैं:"1. बाएँ बैलों पर घाव।दर्द को सही तथ्य पर रोगी की सूजन द्वारा बताया गया था।बाहर के रोगी के रूप में प्रभावशाली इलाज के रूप में इलाज किए जाने के लिए दर्द ठीक नहीं था।

/

/

/

/

2. दाहिनी टखने पर प्रार्थना की गई और पाया गया कि दाहिनी किबुला हड्डी टूट गई थी उक्त चोट को गंभीर चोट कहा गया था।जारी किया गया प्रमाण पत्र दुर्घटना रिपोर्ट Ex.P.30 है। "

/

10. भास्करन (पीडब्लू-4) ने भी अपने बयान में 8 अप्रैल, 2003 की घटना की पुष्टि की।उन्होंने कहा कि उन्हें और चिन्नापेरिया को अभियुक्तों ने पीटा था।उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दोनों आंखों के नीचे चेहरे पर चोटें आई हैं।भास्करन (पीडब्लू-4) की पत्नी राठी (पीडब्लू-5) का भी यही बयान है।

/

11. भौतिक गवाह इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामार (पीडब्लू-2) की मौखिक गवाही की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होती है, जबकि मृतक की जान लेने का मकसद 8 अप्रैल, 2003 को हुई घटना से निकला है।इसलिए, नीचे दी गई अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विधि में प्रशंसनीय निष्कर्ष हैं।

/

1121

पोस्टमैन वेंगैसेमी बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि [हेमंट गुप्ता, जे.]

/

12. राम लक्ष्मण के मामले में, अदालत ने पाया कि उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों के संबंध में गवाह के साथ अविश्वास किया, लेकिन अन्य अभियुक्तों के संबंध में ऐसे गवाह पर विश्वास किया।यह बयान की कुछ चूक या विरोधाभास का मामला नहीं है, लेकिन गवाह की विश्वसनीयता पर ही संदेह था।वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है।गवाहों की धारणा और समय बीतने के कारण कुछ विरोधाभास उत्पन्न होते हैं।लेकिन गवाहों की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं हुई है।इसलिए, ऐसे गवाह विश्वसनीय और श्रेय के योग्य गवाह होते हैं।13. नजाभाई देसुरभाई वाघ मामले में, यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के निर्णय की जांच कर रहा था, जब उच्च न्यायालय ने केवल एक आरोपी के खिलाफ सजा बरकरार रखी थी।शिकायतकर्ता की अपील अभियुक्त को बरी किए जाने के खिलाफ थी।इस न्यायालय ने कहा कि कुल्हाड़ी, लोहे की नली और भाला जैसे हथियारों से लैस, अपराध करने के लिए सामान्य उद्देश्य का अनुमान इस्तेमाल किए गए हथियारों और हमले के हिंसक तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन जिस प्रश्न की जांच की गई वह यह था कि क्या उन्हें हत्या के बारे में जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है।वर्तमान ऐसा मामला नहीं है। यहां, थलाइरीपांडी (ए-11) के आह्वान पर, तलवार से लैस अभियुक्तों ने मृतक पर जानलेवा हमला किया था और इरुलंडी (पीडब्लू-1) और रामर (पीडब्लू-2) को भी घायल कर दिया था।चूंकि मृतक पर 8 अप्रैल, 2003 को पहले हमले का इतिहास रहा है, इसलिए आरोपी ने चिन्नापेरिया की जान लेने के उद्देश्य से एक गैरकानूनी सभा का गठन किया।निर्दिष्ट निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।यह अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य का संचयी प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि क्या गैरकानूनी सभा का एक सामान्य उद्देश्य हत्या के बराबर गैर-इरादतन हत्या करना था।14. महेंद्रन के मामले में, सुस्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए

/

/

/

/

"यूनो में फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस" का अनुसरण करने वाले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

/

भारत और यह विधि का शासन नहीं है।इसलिए, भले ही बयान का कुछ हिस्सा अप्रमाणित पाया जाए, गवाहों की पूरी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

15. इसे ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और सजा के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।हालांकि, अपीलकर्ताओं को सक्षम न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

/